www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 02.03.2017

सीबीआई ने आर.बी.आई. के दिशा निर्देश के कथित उल्लंघन पर जलगॉव डिस्ट्रीक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक एवं दो अन्य कर्मियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया एवं तलाशी की

सीबीआई ने जलगॉव डिस्ट्रीक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलगॉव (महाराष्ट्र) के प्रबन्ध निदेशक ; डिस्ट्रीक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चोपड़ा, जलगॉव में कार्यरत शाखा प्रबन्धक व कैशियर एवं अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 468, 471, 477-ए तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) और उनके प्रमुख अपराधों के तहत मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि विमुद्रीकरण के बाद दिनांक 09.11.2016 को उक्त बैंक के प्रबन्ध निदेशक ने कपटपूर्ण तरीके से अपने पास रखी कुल मिलकर 73.32 लाख रू. (लगभग) को बैंक खातों की बुक में ज़ाली प्रविष्टियों के द्वारा उक्त बैंक के शाखा प्रबन्धक एवं कैशियर के साथ मिलीभगत में दिनांक 08.11.2016 तक जलगॉव कोऑपरेटिव बैंक, चोपड़ा के समाहरण (कलेक्शन) से 100/- मूल्य की मुद्रा के साथ बदल लिया।

जलगॉव स्थित उक्त आरोपी व्यक्तियों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में आज तलाशी की गई जिसमें चोपड़ा शाखा के खाता विवरण सहित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

आगे की जॉंच जारी है।

****